कांकेर घटना

की

जांच रिपोर्ट

26 सितंबर 2020

पत्रकार श्री कमल शुक्ला और श्री सतीश यादव

के साथ हुई घटना

कांकेर में गत 26 सितंबर 2020 को कांकेर के पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना हुई. इसकी जांच के लिए राज्य शासन ने पत्रकारों के छह सदस्यीय जांच समिति की घोषणा की थी. समिति में राजेश जोशी, सुरेश महापात्र, रुपेश गुप्ता, अनिल द्विवेदी, शगुफ्ता शीरीन , राजेश शर्मा थे. कोरोना संक्रमित होने की वजह से राजेश शर्मा मामले की जमीनी तहकिकात में शामिल नहीं हुए. फोन पर वह लगातार संपर्क में थे. जांच रिपोर्ट की पूरी जानकारी उनको देकर सहमति ली गई.

कमेटी ने एक अक्टूबर 2020 को गठन के तुरंत बाद दो अक्टूबर को रायपुर में कमेटी के सदस्यों के बीच पहली बैठक हुई. इसमें घटना के बारे में विभिन्न स्रोतों से आ रही जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई. इसमें जांच के निम्न बिंदु तय किए गए.

1. घटना क्या हुई.
2. घटना की पृष्ठभूमि
3. सभी पक्षों की संलिप्तता और भूमिका
4. एफआईआर और घटना का तथ्यात्मक विश्लेषण
5. पुलिस और प्रशासन की भूमिका
6. पब्लिक डोमेन में उपलब्ध सारे आरोपों की पड़ताल

जांच शुरुआत करने की स्थिति में समिति के सामने मौजूद तथ्य

कमेटी के जांच शुरू करने के समय कुछ तथ्य थे. ये तथ्य 26 सितंबर 2020 के कुछ वीडियो और उसके पहले किए गए सोशल मीडिया के पोस्ट के रूप में थे.

1. 26 सितंबर को वायरल वीडियो में से एक में पत्रकार श्री सतीश यादव को कुछ लोग पकड़कर मारते हुए ले जा रहे हैं.

2. 26 सितंबर के ही दूसरे वीडियो में पत्रकार श्री कमल शुक्ला के साथ मार्केट में झूमाझटकी और कुछ लोगों द्वारा भद्दी गालियां दी जा रही थीं. कमल शुक्ला के कपड़े फटे हुए थे. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक गालीगलौज और झूमाझटकी करने वाले कांग्रेस के स्थानीय नेता, पदाधिकारी थे. कुछ लोग कमल शुक्ला को बचाने की कोशिश भी कर रहे थे.

3. एक अन्य वीडियो में कमल शुक्ला की गर्दन पर खून बहता दिख रहा है.

4. कुछ और वीडियो पुलिस थाने के बताए जा रहे थे, जिसमें गफ्फार मेमन नाम का व्यक्ति अपनी पेंट पर हाथ मारते हुए, सुरक्षा के लिए पिस्टल रखने की बात कर रहा है. इसी वीडियो में दूसरा व्यक्ति कमल शुक्ला को बाहर निकलने पर देख लेने की धमकी दे रहा है. एक अन्य व्यक्ति अपने खिलाफ छप रही खबरों का जिक्र करते हुए धमकियां देता दिख रहा है.

कमल शुक्ला के पोस्ट, उनके पोर्टल और अखबार की कटिंग से पता चलता है कि वे लगातार रेत खदान में अवैध उत्खनन की खबरें छाप/लिख रहे थे. इसमें कांग्रेसियों की संलिप्तता का

जिक्र था. वे घटना के पहले लगातार कलेक्टर को हटाने की मांग कर रहे थे. दो अक्टूबर को कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर उन्होंने आंदोलन की जानकारी एक पोस्ट के माध्यम से दी थी. (संलग्न)

5. श्री सतीश यादव के कुछ पोस्ट जिसमें वे व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनके पद का जिक्र करते हुए व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं. (संलग्न)

6. 26 सितंबर को हुई घटना की मीडिया रिपोर्ट और उसके बाद लगे आरोप-प्रत्यारोप. घटना से 15 दिन पहले की अखबारों की कतरनें. (संलग्न)

7. कमल शुक्ला और श्री सतीश यादव ने घटना के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्ट किए. उनके वीडियो आए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में उन पर जानलेवा हमला किया. कमल शुक्ला और श्री सतीश यादव ने आरोप लगाया है कि उनको थाने के अंदर पिस्तौल लहराकर धमकाया गया. कमल शुक्ला ने घटना के बाद पंजाब केसरी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि पुलिस के सामने उनका गला रेतने की कोशिश की गई. (श्री सतीश यादव के बयान का आडियो रिपोर्ट, पंजाब केसरी से हुई बातचीत के वीडियो के वीडियो क्लीपिंग की श्री शुक्ला की पोस्ट संलग्न)

8. प्रदेश कांग्रेस ने अपने बयान में इसे दो पत्रकारों कमल शुक्ला और गणेश तिवारी के बीच की लड़ाई बताया था. कांकेर जिला जनसंपर्क ने इस बारे में जारी बयान में दो पत्रकारों के साथ लड़ाई को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया था. इसमें सभी आरोपियों के नामों और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का जिक्र है. (पोस्ट संलग्न)

9. इस मामले में कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी के प्रतिनिधि पद से गफ्फार मेमन ने इस्तीफा दे दिया. उसके बाद गफ्फार को कांग्रेस पार्टी ने जिला कांग्रेस महामंत्री पद से भी हटा दिया. (बयान संलग्न)

10. पत्रकारों पर हमले की घटना के बाद इसके विरोध में रायपुर समेत राज्य के कुछ शहरों में पत्रकारों का आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन जांच कमेटी के तय शुदा बिंदुओं के दायरे से यह आंदोलन बाहर था. (संलग्न)

जांच की प्रक्रिया

1. घटनास्थल का मुआयना और प्रत्यक्षदर्शियों से चर्चा और उनके बयान
2. सभी संबंधित पक्षों के बयान और प्रतिपरीक्षण
3. सोशल मीडिया समेत सभी मीडिया स्रोतों में उपलब्ध सामग्री का संग्रहण और उनका अध्ययन
4. आरोपों पर सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ.

इस प्रक्रिया के लिए जांच टीम सात, आठ और नौ अक्टूबर 2020 को कांकेर और रायपुर में रही और सभी से संपर्क किया. कांकेर में घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पत्रकारों, पुलिस, प्रत्यक्षदर्शी, शिकायतकर्ताओं, आरोपियों, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों और आम लोगों से भी बातचीत कर जानकारी ली.

जांच टीम ने कांकेर पहुंचने के बाद 7 अक्टूबर 2020 को श्री कमल शुक्ला से संपर्क करने की कोशिश की. उन्होंने काल रिसीव नहीं किया. उनको मैसेज भेजा गया, जिसका जवाब 8 अक्टूबर की सुबह उनके बेटे शुभम ने दिया. शुभम ने बताया कि वह फोन आपरेट नहीं कर पा रहे हैं. उनके बयान और संबंधित दस्तावेज वह जांच टीम को उपलब्ध करा देंगे. श्री सतीश यादव के माध्यम से शुभम ने 9 अक्टूबर को सीडी और दस्तावेज भिजवाए. हालांकि इसमें उनका बयान नहीं था. बेटे ने बताया कि उनके पिता अभी बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं. पुत्र ने कहा कि अभी उनके पिता से जांच टीम का अस्पताल में मिलना सही नहीं होगा. (बेटे शुभम से बातचीत का ऑडियो संलग्न). जांच टीम ने बयान की आडियो क्लिप भेजने का आग्रह किया. पर रात एक बजे तक वह नहीं आई. हालांकि श्री शुक्ला ने 9 अक्टूबर को रात करीब 10 बजे आंदोलन से जुड़ी अपनी एक वीडियो क्लिप फेसबुक पर पोस्ट की. जांच टीम ने कमल शुक्ला जी के तमाम आरोपों, बयानों, मांगों पर विस्तार से चर्चा की पड़ताल की.
श्री यादव से फोन पर टीम ने विस्तार से चर्चा की. (आडियो क्लिप पेन ड्राइव में)

जांच संबंधी कार्यवाही का विवरण और साक्ष्य

इन मामलों की जांच के लिए कमेटी ने 80 से ज्यादा लोगों से बातचीत की. इसमें घटना के पक्ष-विपक्ष में प्रत्यक्ष व परोक्ष तौर पर शामिल लोगों के साथ शहर के न्यूट्रल सभ्य नागरिकों और घटना स्थल के आस-पास के व्यापारी बंधुओं से भी थे. संबंधित पक्षों से बातचीत करने पर पता चला कि कांकेर जिले में जिला प्रशासन और मीडिया के मध्य संबंध लंबे समय से आसामान्य है.
बीते एक माह में विवाद चरम पर तब आया जब जिला कलेक्टर ने 6 सितंबर 2020 को एक वॉट्सएप ग्रुप चैट में कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के एक सुझाव से जुड़ी वेब पोर्टल की एक ख़बर के लिंक पर विपरीत अमर्यादित टिप्पणी कर दी. (देखें स्क्रीन शॉट)
इस बारे में कुछ पत्रकारों का कहना है कि कलेक्टर से नाराजगी की एक वजह कुछ पत्रकारों के निजी हितों की पूर्ति ना होना है. (संदर्भ पत्रकारों के संलग्न बयान) लेकिन इस बात का कोई प्रामाणित तथ्य सामने नहीं आया है. कलेक्टर से कमेटी ने इस बारे में बात की. इसमें कई बातें स्पष्ट हुई. निजी हितों को लेकर मीडिया के एक तबके का प्रशासन से टकराव नया नहीं है. इससे पहले भी कांकेर में पदस्थ दो कलेक्टर इसे

झेल चुके हैं. इसी तरह के दो घटनाक्रमों में पूर्व कलेक्टर ने दो पत्रकारों के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था. इसमें एक केस में पत्रकार को जेल जाना पड़ा था.

अलग-अलग पक्षों ने बताया कि वर्तमान कलेक्टर की लॉकडाउन पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गत 7 सितंबर 2020 को पत्रकार आंदोलित हुए. कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन के बीच कलेक्टर का पुतला भी जिला मुख्यालय में फूंका गया. कई पत्रकारों ने अपने बयान में कहा है कि इस घटना के बाद कलेक्टर ने कुछ मीडियाकर्मियों से दूरी बना ली. दो अक्टूबर को पत्रकार कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर जेलभरो आंदोलन करने वाले थे. इससे जुड़ी पोस्ट 25 सितंबर को श्री शुक्ला के फेसबुक वॉल पर भी है.

इस बीच जिले के रेत खदानों में प्रतिबंध के बावजूद खनन और रेत डंप कर बेचे जाने को लेकर खबरें छपीं. कई अखबारों की कतरन जांच के दौरान मिली. (संलग्न)

पूछताछ में जांच समिति को जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जिले में रेत की खदान खनिज विभाग ने लीज पर दी है. इसी लीज में से एक जगह पर कांग्रेस के पदाधिकारी अब्दुल गफ्फार मेमन भी लीजधारक हैं. कुछ अखबारों ने इस दौरान अवैध रेत परिवहन को लेकर भी खबरें कवर कीं. श्री कमल शुक्ला ने भी अपने अखबार और वेबपोर्टल के अलावा फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रेत तस्करी की खबरों को जमकर चलाया. जिला खनिज अधिकारी ने भी अपने बयान में बताया कि श्री कमल शुक्ला जी से अवैध रेत खनन परिवहन के संदर्भ में सितंबर के अंतिम हफ्ते में फोन पर संपर्क हुआ था. उनके द्वारा कई बार अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के बारे में खनिज विभाग को सूचना मिली है. उस पर कार्रवाई भी की गई है. कमल शुक्ला ने 23 सितंबर को फेसबुक पर भूमकालसमाचार.काम की खबर-खनिज अधिकारी सोते रहे, पर भूमकाल समाचार की टीम ने कार्रवाई करके दिखाया और एक डंपर अवैध रेत को जब्त करवाया. (देखें फेसबुक पेज का स्क्रीन शॉट). इस जब्ती में श्री शुक्ला ने विधायक प्रतिनिधि का जिक्र करते हुए लिखा कि जिले की कई नदियों में चल रही रेत की लूट. विधायक प्रतिनिधियों की भी भूमिका संदिग्ध. माना जा रहा है कि उनका निशाना गफ्फार मेमन थे, जो रेत ठेकेदार भी हैं और विधायक के प्रतिनिधी भी. 25 सितंबर को श्री शुक्ला की ही फेसबुक वॉल पर भूमकालसमाचार.काम की एक खबर शेयर की गई है- भाजपा नेत्री का पति करता है रेत की चोरी, और सीनाजोरी के लिए रखे हैं कुछ तथाकथित पत्रकार और गुंडे. - इस खबर के साथ उन्होंने बताया है कि भूमकाल समाचार के जुंझारू पत्रकार विरेंद्र यादव ने अपनी टीम के साथ रेत से भरे एक डंपर को चारामा के एक पेट्रोल पंप के पास खड़े कराकर उसका चाबी छीनकर खनिज अधिकारी मनोज बंजारे को फोन किया. फिर उसका जब्ती बनवाया. (स्क्रीन शॉट संलग्न).

मारपीट की घटना के एक दिन पहले 25 सितंबर को भी श्री शुक्ला के वेबपोर्टल पर कांकेर जिले में अवैध रेत परिवहन को लेकर एक खबर पोस्ट की गई. (संदर्भ जिला खनिज अधिकारी प्रमोद नायक का बयान)

मारपीट की घटना की पृष्ठभूमि

प्रदेश सरकार ने नजूल जमीन पर कब्जा को शुल्क लेकर कब्जेदार को पट्टा देने की बड़ी योजना लागू की है. वहीं कांकेर में सड़क चौड़ीकरण और कुछ विकास कार्यों के लिए कोशिश चल रही है. कई पत्रकारों की नजूल भूमि पर कब्जा की जानकारी प्रशासन ने निकाली. कुछ को नोटिस भेजा गया. इससे विवाद और टकराव और बढ़ गया. कमल शुक्ला और कांकेर के पत्रकार श्री सतीश यादव समेत कई पत्रकारों को भी इसी तरह का नोटिस भेजा गया है. नगर पालिका कांकेर के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर को लेकर श्री सतीश यादव ने अपने फेसबुक पर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियाँ कीं. कांकेर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर कांग्रेस के नेता हैं. श्री सतीश यादव ने इस तरह की पोस्ट की थी कि वह नगरपालिका में बतौर अध्यक्ष कुर्सी पर बैठकर फाइलें चलाते हैं. चूंकि इनकी पत्नी कांकेर नगर पालिका परिषद की निर्वाचित अध्यक्ष हैं और वे खुद पूर्व अध्यक्ष हैं, तो इन्हें कोई रोकता-टोकता नहीं. श्री सतीश यादव ने इसे लेकर खबर भी प्रकाशित की थी. हालांकि जितेंद्र सिंह ठाकुर ने इन आरोपों से इनकार किया है. (संदर्भ बयान)

26 सितंबर 2020 की दोपहर ये हुआ

श्री शुक्ला के साथ हुई मारपीट की जांच के दौरान टीम मौका मुआयना करते हुए उस होटल तक पहुंची, जहां पत्रकार श्री सतीश यादव के साथ मारपीट के आरोप लगे थे. होटल संचालक ने बताया कि घटना के वक्त तीन से चार लोग वहां पहुंचे और अंदर चाय पी रहे श्री सतीश यादव को 'बाहर निकल' कहा. श्री सतीश यादव बाहर निकले. वहां पर मारपीट की पुष्टि होटल वाले ने नहीं की. इसके संबंध में उक्त होटल व्यवसायी, उनकी पत्नी व पुत्री से कमेटी ने बातचीत की. (संलग्न विडियो).

पत्रकार श्री सतीश यादव से मोबाइल फोन पर बयान दर्ज किया गया. इसमें उन्होंने घटना के बारे में बताया कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर अपनी इनोवा कार से बिरसिंह होटल में पहुंचे जहां वे (श्री सतीश यादव) बैठे थे. अपने साथी पार्षदों नाम (आडियो क्लिप में) के साथ इनोवा गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश की. पर सड़क संकरी होने के कारण आरोपी उन्हें पैदल मारते-पीटते गाली गलौज करते सड़क से कोतवाली थाने ले गए. श्री सतीश यादव ने कहा पुलिस का रवैया सही नहीं था. स्टाफ भी पर्याप्त नहीं था. कंटेनमेंट जोन के बावजूद कांग्रेसी नेता बिना रोक टोक घुस गए. श्री सतीश यादव ने कहा कि उन्होंने अपने अखबार सुबह के प्रहरी में नगर पालिका को लेकर लगातार खबरें कीं. इसमें नगर पालिका के कामकाज के तरीकों पर प्रहार किया गया था. उनका कहना है कि आरोपी पक्ष घटना के लिए सोशल मीडिया पर निजी टिप्पणियों को आधार बना रहा है, जो

सरासर गलत है. सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियां सांकेतिक थी. ना की निजी (आडियो बयान और अखबार में छपी खबरों की कतरनें संलग्न)

होटल के पास की दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था. लेकिन जांच टीम को उसका फुटेज नहीं मिला, दुकानदार का कहना है कि कैमरे में सात दिन की ही मैमोरी है. इसकी पुष्टि जांच टीम ने भी की. लेकिन जांच टीम को एक दूसरा वायरल वीडियो क्लिप मिला, जिसमें जीतेंद्र ठाकुर अपने साथियों के साथ श्री सतीश यादव को पीटते और ढकेलते हुए पैदल लेकर जा रहे हैं. (देखिए वीडियो क्लिप). श्री सतीशका आरोप है कि उसके साथ गालीगलौज करते हुए उसे लात-घूंसे से मारा गया. यह विडियो में भी साफ दिख रहा है. इस मामले को लेकर आरोपी जितेंद्र ठाकुर ने श्री सतीशके साथ किसी तरह की मारपीट से इनकार किया है. दूसरे आरोपी निर्दलीय पार्षद शादाब ने भी मारपीट से इनकार किया, पर ये माना कि ठाकुर के साथ वह श्री सतीशको दबोचकर थाने तक लेकर गए थे. इन दोनों का आरोप है कि लड़ाई की शुरूआत श्री सतीशने की थी. ठाकुर के अनुसार श्री सतीशने उनको रोककर गालीगलौज करते हुए धमकाया. शादाब का कहना है कि वह ठाकुर और श्री सतीशके बीच विवाद होता देखकर वहां पहुंचे थे. घटना पर श्री सतीशका बयान और एक वायरल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनके शर्ट की बटन टूटी हुई है. थाने में उस वक्त मौजूद टीआई से लेकर अन्य पुलिस स्टाफ ने भी इसकी पुष्टि की है कि शर्ट के बटन टूटे हुए थे. पुलिस ने बताया कि श्री सतीशने अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत की. श्री सतीशने अपनी एफआईआर में कहा कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई. उसके साथ मारपीट करने वालों में जीतेंद्र के साथ मकबूल खान, शादाब खान और अन्य लोग थे. जबकि दूसरे पक्ष ने भी अपनी काउंटर शिकायत दर्ज कराई. श्री सतीशके मेडिकल रिपोर्ट में किसी तरह की चोट नहीं पाई गई.

निष्कर्ष

जांच टीम ने सभी पक्षों से बातचीत और साक्ष्यों की जांच में पाया कि श्री सतीशके साथ जीतेंद्र और उनके साथियों ने मारपीट की. और उनको बलपूर्वक अपने साथ खींचते हुए गैरकानूनी तरीके से थाने ले गए. जांच टीम को दिए बयानों में एसडीओपी, थानेदार ने भी इस बात को स्वीकार किया कि श्री श्री सतीशको इस तरह से बलपूर्वक लाना गैरकानूनी कृत्य है. (पुलिस अफसरों के बयान संलग्न)

थाने में ये हुआ

श्री सतीश यादव ने जब एफआईआर की तैयारी शुरू की, तो जीतेंद्र उन्हें (श्री सतीशको) थाने में छोड़कर श्री सतीश जी के खिलाफ गाली गलौच, मारपीट और जान से मारने की धमकी की शिकायत टाइप कराने थाने से बाहर निकल गए. इसका जिक्र ड्यूटी पर मौजूद थाने के स्टाफ और खुद जीतेंद्र ठाकुर ने अपने बयान में किया.

इसी बीच पुलिस थाने में बैठे श्री सतीश ने कांकेर पत्रकारों के वॉट्सएप समूह में बचाने के लिए मैसेज डाला. (देखें स्क्रीन शॉट) इसके बाद पत्रकार श्री कमल शुक्ला और बहुत से पत्रकार थाने पहुंचे. इसी दौरान कांग्रेसी नेता जितेंद्र सिंह ठाकुर ने भी कांग्रेस से जुड़े एक वॉट्सएप ग्रुप में सूचना देकर सभी को थाना

पहुंचने के लिए कहा. इसके बाद गफ्फार मेमन समेत कई नेता, कार्यकर्ता थाने पहुंच गए. वह कांग्रेस के तत्कालीन महामंत्री और स्थानीय विधायक के प्रतिनिधि भी थे. (घटना के बाद दोनों पद से हटाए गए हैं.) के अलावा गणेश तिवारी भी पहुंच गए. श्री गणेश स्वयं को पत्रकार बताते हैं. उनके पास दो दैनिक समाचार पत्र के नियुक्ति पत्र हैं. और वे खुद को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का इंटक का पदाधिकारी बताते हैं. उनका कहना है कि 27 सितंबर को उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है. आपराधिक मामलों को लेकर उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई कांकेर कलेक्टर ने पूर्व में की थी. इसकी स्वीकारोक्ति खुद गणेश तिवारी ने भी जांच समिति को दिए अपने बयान में की है. गणेश तिवारी को कांकेर के पत्रकारगण पत्रकार नहीं मानते और कांग्रेसी अपना पदाधिकारी नहीं मानते. पत्रकारों ने जांच टीम को दिए बयान (बयान संलग्न) में बताया कि गणेश कांकेर के पुलिस अधिकारी अमर कोमरे के करीबी है. अमर कोमरे और गणेश तिवारी के साथ पत्रकार कमल शुक्ला का विवाद सोशल मीडिया पर काफी समय से वायरल है. (स्क्रीन शॉट संलग्न). कोमरे के रिश्तों को लेकर गणेश तिवारी और कमल शुक्ला ने हाल के महीनों में सोशल मीडिया में एक-दूसरे के खिलाफ निजी हमले किए हैं. पत्रकार कमल शुक्ला ने इन दोनों को लेकर बहुत सारी बातें सार्वजनिक की हैं, जिससे इनकी अपनी व्यक्तिगत अदावत कमल शुक्ला के साथ है.) थाने के अंदर और थाना परिसर में कमल शुक्ला और गफ्फार मेमन के बीच झड़प हो गई. गफ्फार और जीतेंद्र ठाकुर के साथ आए लोगों द्वारा थाना परिसर के अंदर गालीगलौज किए जाने के कई वीडियो सामने आए हैं. एक वीडियो में गफ्फार मेमन अपनी जेब की तरफ इशारा करते हुए कहा "मैं अपनी सुरक्षा के लिए लायसेंसी पिस्टल रखा हूं." पर किसी भी विडियो में उसके हथियार लहराने का दृश्य नहीं मिला. श्री कमल शुक्ला ने आरोप लगाया था कि थाने के अंदर उसकी कनपटी पर पिस्तौल रखी गई, जिसे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है. थाने के स्टाफ ने अपने बयान में एसी किसी घटना से साफ इनकार किया. पुलिस का दावा है कि थाने के अंदर घटना के बाद सीसीटीवी लगाए गए. घटना के दिन थाने के अंदर सीसीटीवी था ही नहीं. जांच कमेटी को दिए बयान में पत्रकारों ने भी बताया कि घटना के बाद थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए. (बयान संलग्न). गफ्फार के पिस्टल रखने के दावे पर टीआई ने भी जांच कमेटी को दिए बयान में कहा कि गफ्फार ने फुलपैंट की जेब की ओर इशारा करते जेब में पिस्टल का दावा किया था, लेकिन घटना के वक्त उसके पास पिस्टल नहीं थी. कमल शुक्ला जी ने आरोप लगाया है कि थाने के अंदर उनका गला रेतने की कोशिश की गई, लेकिन इस तरह का कोई तथ्य जांच टीम को नहीं मिला. ना ही घटनास्थल पर मौजूद किसी भी पुलिस अफसर या कर्मी ने इसकी पुष्टि की. एमएलसी रिपोर्ट में भी श्री शुक्ला के गले पर भी कोई निशान नहीं मिला.

निष्कर्ष

गफ्फार मेमन और जीतेंद्र ठाकुर समेत अन्य लोगों का आरोप है कि कमल शुक्ला ने उनके साथ गालीगलौज की और उनको उकसाया. कमल शुक्ला के साथी पत्रकारों ने वीडियो तब से रिकार्ड किया, जब कमल शुक्ला उन लोगों को गालीगलौज करके उकसा चुके थे. घटनास्थल पर मौजूद

थाने के किसी भी अधिकारी ने श्री शुक्ला द्वारा विरोधी पक्ष से गालीगलौज किए जाने की पुष्टि नहीं की. जीतेंद्र ठाकुर के साथी कांग्रेसियों द्वारा कमल शुक्ला को आक्रामक तरीके से धमकाने और गालीगलौज किए जाने के कई वीडियो क्लिपिंग भी हैं. यही बात पुलिस अफसरों के बयान भी हैं. जांच टीम को दिए बयान में दो महिला पुलिस अफसरों ने भी माना कि जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कांग्रेसी कर रहे थे, वह असहनीय था. उन्होंने एसा करने से कांग्रेसियों को रोका. (बयान संलग्न)

थाने से टकराव बाहर शिफ्ट

कांकेर के कोतवाली थाने के टीआई ने जांच कमेटी को दिए अपने बयान में बताया कि उन्होंने बवाल बढ़ता देख थाने के भीतर हंगामे की सूचना एसपी कांकेर को मोबाइल पर दी. एसपी ने तुरंत इलाके के एसडीओपी तस्लीम आरिफ को घटनास्थल पर भेजा. पुलिस अफसरों ने जांच कमेटी को बताया कि घटना के वक्त थाने में 10-12 पुलिस कर्मी ही थे. थाना परिसर में 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी. वे उग्र भी थे. स्थिति को देखते हुए पुलिस लाइन से अतिरिक्त फोर्स मंगवाई गई. पर फोर्स आने में देरी हुई. कमल शुक्ला के साथ घटनास्थल पर मौजूद पत्रकारों ने जांच कमेटी को बताया कि हंगामे के दौरान उन्होंने कई बार कांकेर एसपी को फोन करके सूचना देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. धारा 144 और कोरोना संक्रमण के बाद कंटेन्मेंट जोन घोषित थाना परिसर में हंगामा होता रहा, तो पुलिस ने सभी को परिसर से बाहर निकाल दिया. बाहर एक बार फिर कमल शुक्ला और कांग्रेसी आमने-सामने हो गए. पत्रकारों ने जांच कमेटी को दिए अपने लिखित बयान में कहा- जैसे-तैसे हम सभी पत्रकार कमल शुक्ला को थाने से लेकर निकले, लेकिन बाहर का माहौल देखकर वापस थाने के अंदर ले गए. लेकिन थाना प्रभारी ने भीड़ ना लगाओ कहकर वापस थाने के बाहर भेज दिया. इस दौरान थाने के ठीक सामने हम सभी खड़े हुए थे. तभी गणेश तिवारी गालीगलौज करते हुए बाहर आए और श्री कमल शुक्ला पर हमला कर दिया. उसके साथ गफ्फार मेमन ने भी शुक्ला के साथ हाथ मुक्कों और लातों से कमल शुक्ला को मारना शुरू कर दिया. हम लोगों ने किसी तरह छुड़ाया. घटनास्थल थाने के सामने होने के बावजूद आधे घंटे तक पुलिस नहीं आई. जबकि थाने के अंदर थानेदार, एसडीओपी दोनों मौजूद थे. (बयान संलग्न)

घटना के बारे में एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो क्लिप में कमल शुक्ला के कपड़े फटे हुए हैं. सिर से गरदन तक खून बहता दिख रहा है. शादाब, गफ्फार और गणेश तिवारी कमल शुक्ला को भद्दी गालियां देते हुए घसीट रहे हैं. साथ में मारने की बात भी कर रहे हैं. वीडियो में एक व्यक्ति पत्रकार कमल को बचाता दिख रहा है. पत्रकारों के अनुसार वह कांकेर का पत्रकार जीवानंद हालदार है. वीडियो में कई और पत्रकार भी वहां दिख रहे हैं. लेकिन हालदार को छोड़ कोई और कमल शुक्ला को बचाता हुआ नहीं दिख रहा. मौके पर ही खड़ी पुलिस भी कुछ बचाव करती नहीं दिख रही. मारपीट के दौरान श्री कमल शुक्ला के सिर में चोट लगी और खून बहने लगा. पर यह चोट कैसे आई, इसे लेकर अलग –अलग बयान सामने आ रहे हैं.

२१/१२/२० २०२०

दूसरी तरफ गफ्फार मेमन ने बयान में माना कि कमल शुक्ला ने उसे उकसाया और भद्दी गाली दी. आवेश में धक्का-मुक्की हुई. श्री कमल शुक्ला को धक्का देने की बात श्री गफ्फार ने स्वीकार की, पर मारपीट के आरोपों से इनकार किया. शादाब खान का कहना है कि थाना परिसर के बाहर कमल शुक्ला और गणेश तिवारी एक दूसरे से गालीगलौज और झूमाझटकी कर रहे थे. इसके बाद उन्होंने दोनों को अलग करने की कोशिश की. लेकिन कमल शुक्ला ने गंदी-गंदी गालियां दीं. मुझे गुस्सा आ गया. मैं उसकी कमीज को पकड़कर दो कदम आगे ले गया. शादाब खान ने गुस्से में कमल शुक्ला के साथ गालीगलौज करने की बात भी स्वीकार की. करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक वहां बवाल चलता रहा. कमल शुक्ला के साथ गालीगलौज और धमकियां भी जारी रहीं. थाने के बाहर पुराने बस स्टैंड परिसर में बवाल की सूचना मिलते ही एसडीओपी समेत बाकी पुलिस अफसर वहां पहुंचे और साथियों के साथ सड़क पर बैठ गए कमल शुक्ला को वहां से थाने लेकर गए. इस दौरान भी कांग्रेस नेता गालीगलौज और धमकियां दे रहे थे. इसका वीडियो क्लिप भी श्री कमल शुक्ला जी ने दी है. (संलग्न है क्लिप)

जांच टीम ने थाने के सामने घटनास्थल के आसपास के लगभग सभी दुकानदारों से घटना के बारे में बात की, सीसीटीवी फुटेज को लेकर जानकारी ली. लेकिन वहां की किसी भी दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था. ना ही वह ये बता पाए कि हंगामा कैसे शुरू हुआ. थाने के बाहर एक पेड़ पर लगाए गए एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में घटनास्थल की वीडियो क्लीपिंग रिकार्ड हुई है. लेकिन वह स्पष्ट नहीं है.

निष्कर्ष

श्री शुक्ला को चोट कैसे लगी, यह किसी भी वीडियो क्लिप या बयान में सामने नहीं आया है. बयान में टीआई ने भी माना कि उनके सिर से खून निकल रहा था. (मारपीट और घटना से जुड़े विडियो संलग्न.) हालांकि डॉक्टर का कहना है कि यह चोट उनको प्राणघातक नहीं लगी. क्योंकि चोट गहरी नहीं थी. श्री शुक्ला की मेडिकल जांच में इस किसी भोथरी चीज से चोट लगने का जिक्र है. सिर पर लगे कट को बंद करने के लिए पांच से सात टांके लगाने का जिक्र जांच करने वाले डॉक्टर ने जांच कमेटी को दिए बयान में किया है. एसडीओपी श्री तसलीम आरिफ ने भी जांच कमेटी को दिए बयान में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में चोट को सांघातिक नहीं पाया गया. अगर डॉक्टर ने चोट को गंभीर बताया होता, तो केस में हत्या की कोशिश का केस बनाया जाता.

टकराव

कमल शुक्ला और गफ्फार मेमन के बीच विवाद

कमल शुक्ला ने अपने फेसबुक पोस्ट और बयानों में यह आरोप लगाया है कि उसने रेत खदान की खबरें प्रकाशित कीं, जिसकी वजह से उन पर हमला किया गया. हमले में उन्होंने मुख्य रूप

से गफ्फार मेमन का जिक्र किया, जिनकी एक रेत खदान चारामा के पास है. गफ्फार मेमन ने जांच समिति को दिए बयान में बताया कि उनके और कमल शुक्ला के बीच विवाद की वजह 15 अगस्त को दिए गए पांच हजार रुपए के विज्ञापन के भुगतान में देरी है. 24 अगस्त को भुगतान नहीं होने के बाद कमल शुक्ला ने गफ्फार से पैसे लेने से मना कर दिया. गफ्फार ने कमल शुक्ला को उसके घर 5000 रुपए कैश भिजवाए, लेकिन वो पैसे कमल ने नहीं लिए. इसके बाद उन्होंने बिल वापसी हेतु विधायक शिशुपाल सोरी को आवेदन वॉट्सएप पर भेजा. (संलग्न) इसमें उन्होंने लिखा कि संसदीय सचिव कार्यालय के नाम से बिल बनाने को वह तैयार नहीं है. क्योंकि यह जनता का पैसा है. उन्होंने विज्ञापन को शून्य घोषित करने की जानकारी दी. गफ्फार मेमन ने कमल शुक्ला के साथ इससे पहले हुए वॉट्सएप संवाद का स्क्रीन शॉट भी जांच समिति को उपलब्ध कराया है. इसमें कमल ने पांच हजार के पेमेंट के लिए महीनेभर रुकने पर तंज के साथ नाराजगी जाहिर की. इस चैट में कहीं भी बिल भुगतान करने वाले का नाम बदलने का जिक्र नहीं है. (संलग्न). जवाब में गफ्फार ने चैट में बताया कि उनको तबियत ठीक नहीं है.

आगे की वॉट्सएप चैट में कमल ने कहा- आज से आदर मत करना भाई, मुझे सब पता है, आप लोग क्या कर रहे हो. मैं यहां की राजनीति छोड़ रायपुर चला गया था. पर कल से अपना काम कांकेर में शुरू कर दिया हूं, अब कांकेर के विकास में आप लोगों की भूमिका को मेहनत से पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश करूंगा. आज आपने जिस तरह से मुझको सहयोग किया एेसा ही सहयोग सुमित्रा मारकोले ने भी किया था. एेसा ही सहयोग शंकर धुरवा ने किया. अब आदरणीय सोरी जी की तरफ से आपने भी किया. भगवान सबको राजनीति में आगे बढ़ाए.

पड़ताल

इस वॉट्सएप संवाद और बयानों के मद्देनजर जांच समिति ने दोनों के बयानों का प्रति परीक्षण किया. कमल शुक्ला के फेसबुक प्रोफाइल पर 15 अगस्त के पहले रेत से जुड़े मामलों से जुड़ी कोई खबर फेसबुक पर नहीं दिखी. लेकिन इस वाकये के बाद रेत से जुड़ी खबरें लगातार आने लगीं. ये खबरें फेसबुक पोस्ट से लेकर उनके अखबार और वेबसाइट तीनों जगहों पर लगातार प्रकाशित हुईं. गफ्फार ने आरोप लगाया है कि रेत के अवैध कारोबार से जुड़ी जिले की किसी भी खबर में कमल शुक्ला जी ने उनके नाम को घसीटने की कोशिश की. भले ही उन खदानों से उनका लेना-देना ना हो. 19 सितंबर को कमल ने विधायक प्रतिनिधि को जिलेभर में नदियों में रेत के अवैध-वैध खनन का ठेकेदार बताया. (संलग्न)

घटना के दो दिन पहले 24 सितंबर को बिना गफ्फार का नाम लिए फेसबुक पर टिप्पणी की. कमल शुक्ला ने लिखा- लाइसेंसी रिवाल्वर.... लाइसेंसी रेत खदान.... लाइसेंसी विधायक प्रतिनिधि,

सौम्य, सुसंस्कृत और सरल छोटे भाई को प्रगति मुबारक.... जन्म दिन की ढेरों बधाई. जांच कमेटी को गफ्फार ने बताया कि उस दिन उनका जन्म दिन था ही नहीं.
इसके अगले दिन 25 सितंबर को कमल शुक्ला ने कांकेर कलेक्टर को ना हटाने पर पत्रकारों की टीम के साथ मरवाही जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने की धमकी दी.

निष्कर्ष

जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें एेसा प्रतीत होता है कि गफ्फार मेमन और कमल शुक्ला के बीच के टकराव के एक बड़ी वजह 15 अगस्त को पांच हजार रुपए के विज्ञापन के भुगतान में हुई देरी है.

गणेश तिवारी और कमल शुक्ला के बीच टकराव

26 सितंबर 2020 को दोपहर 12.52 बजे कमल शुक्ला ने अपनी फेसबुक वॉल पर गणेश तिवारी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की. इसमें उन्होंने तिवारी पर गुंडागर्दी करने और फर्जी राजनेता होने का आरोप मढ़ा. इस पोस्ट में उन्होंने गणेश तिवारी को गुंडा प्रवृत्ति का बताया और कलेक्टर के पूर्व के आदेश का हवाला दिया. कमल ने गणेश पर फर्जी संगठनों के पद पैसे लेकर बांटने का भी आरोप इसी पोस्ट में लगाया. जबकि गणेश तिवारी ने अपने अखबार में कमल शुक्ला को नक्सली बताया.
इसी दिन दोपहर 1.59 बजे को श्री शुक्ला ने एक और पोस्ट की. इसमें पत्रकार श्री सतीश यादव के साथ मारपीट का जिक्र करते हुए पत्रकारों के थाने पहुंचने की जानकारी दी. (स्क्रीन शॉट संलग्न). इससे पहले गणेश तिवारी और कमल शुक्ला अपने अखबारों और फेसबुक पोस्ट पर एक दूसरे के खिलाफ निजी हमले लगातार कर रहे थे. दोनों ने अपने मीडिया को एक-दूसरे पर हमला करने का हथियांर बना लिया था.

निष्कर्ष

गणेश तिवारी की घटनास्थल पर मौजूदगी और कमल शुक्ला पर आक्रोशित होने की एक तात्कालिक वजह यह पोस्ट भी हो सकती है. लेकिन दोनों इससे पहले भी एक-दूसरे के खिलाफ निजी हमले कर रहे थे. इससे घटना तक इनकी रंजिश काफी बढ़ चुकी थी.

जीतेंद्र सिंह ठाकुर और श्री सतीश यादव के बीच विवाद

जितेंदर ठाकुर ने अपने बयान में बताया कि उनके और श्री सतीशके बीच विवाद की वजह जितेंद्र के फेसबुक पोस्ट थे. इसमें श्री सतीशने उन पर व्यक्तिगत हमले किए. श्री सतीश यादव ने 18 सितंबर 2020 की रात को एक फेसबुक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि पंचायत में सरपंच पति का कोई रोल नहीं होता है. वैसे ही नगर पालिका अध्यक्ष महिला के पति का कोई रोल नहीं होता. कांकेर में क्यों महिला अध्यक्ष होने के बावजूद अध्यक्ष पति ही चेंबर में बैठता है। ठाकुर की पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष हैं. कुछ देर बाद यादव ने ठाकुर के बारे में एक और पोस्ट की. (संलग्न) ठाकुर का कहना है यादव इसके पहले भी मेरे खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करता रहा है.

दूसरी तरफ श्री सतीशने विवाद की वजह नगर पालिका के खिलाफ लंबे समय से उनके द्वारा छापी जा रही खबरें बताया. श्री सतीशने अपने अखबार सुबह का प्रहरी में लिखी खबरें का कॉपियां भी मुहैया करवाई. ये कतरनें 10 मई से 18 सितंबर के दौरान की हैं. इसमें लगातार शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसले उठाए गए हैं. फेसबुक पर 18 सितंबर से पहले तक श्री सतीशने विभिन्न सरकारी विभागों की खामियों को उजागर करने वाली अच्छी खबरें बनाई. इसके बाद श्री सतीश यादव ने 18 सितंबर 2020 को एक खबर डाली. इस खबर में उन्होंने दावा किया कि पालिका के खिलाफ लिखी जा रही खबरों की वजह से उन्हें अवैध कब्जे की नोटिस दी गई. (नोटिस संलग्न) इसके बाद उनकी फेसबुक पोस्ट पर अखबारों की खबरों को अटैच करना बंद कर दिया. और इसके बाद नगर पालिका उसके निशाने पर आ गई. हालांकि अवैध कब्जे की नोटिस यादव के अलावा कमल शुक्ला समेत कई पत्रकारों और अन्य लोगों को भी दी गई है. कलेक्टर ने भी जांच समिति से चर्चा में इसकी पुष्टि की. नजूल की नोटिस को लेकर यादव को 29 सितंबर को पेशी में बुलाया गया था. इस पर उन्होंने 25 सितंबर को शहर के लोगों से इस पर सहयोग मांगा. 26 सितंबर को पुलिस थाने के वायरल वीडियो में जितेंद्र को श्री सतीशको चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत हो, तो नाम लेकर लिखें. घर में घुसकर उसे मारेंगे.

जितेंद्र सिंह ठाकुर और श्री सतीश यादव के बीच भी सोशल मीडिया पर निजी टिप्पणियों की वजह से टकराव हुआ लगता है. दोनों के बीच के विवाद में कमल शुक्ला भी कूद पड़े. चार दिन बाद 22 और 23 सितंबर को कमल शुक्ला ने फेसबुक पर दो पोस्ट की. और उन्होंने जितेंद्र सिंह ठाकुर का नाम लिए बिना असली/नकली अध्यक्ष का आदेश आने का जिक्र किया.(संलग्न).

निष्कर्ष

श्री सतीश यादव द्वारा सोशल मीडिया पर किए जा रहे कमेंट से जितेंद्र सिंह ठाकुर परेशान थे. पर नाम का जिक्र नहीं होने से शायद मौके की तलाश में थे.

जांच समिति का निष्कर्ष

27/12/20
27/12/20

राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने कांकेर में कई फेक्ट की पड़ताल की. कांकेर में 26 सितंबर 2020 को जो कुछ हुआ वस्तुतः यह जिले के भीतर बीते 6-7 माह से घटित कई घटनाओं से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है. इसमें सरकारी नुमायंदों का व्यवहार, रेत खदान में हो रही अवैध खनन की गतिविधि, स्थानीय पत्रकारों में अंदरूनी राजनीति, सोशल मीडिया में टिप्पणियां और कानून व्यवस्था में अनदेखी जैसी तमाम कड़ियां शामिल हैं.

1. पूरी घटना एक तरह पिछले कई महीनों से कांकेर जिले में मीडिया, प्रशासन, कुछ कांग्रेस नेताओं और खनिज ठेकेदारों के बीच चल रहे टकराव का नतीजा दिखती है. छह सितंबर को कांकेर कलेक्टर के वॉट्सएप मैसेज से अधिकतर पत्रकार प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गए.

2. गणेश तिवारी और कमल शुक्ला के आपसी एवं श्री सतीश यादव की तरफ से जीतेंद्र ठाकुर के बारे में सोशल मीडिया पर किए जा रहे निजी हमलों ने आपसी दुश्मनी को बढ़ाया. एेसा लगता है कि कांग्रेस नेता जीतेंद्र ठाकुर द्वारा श्री सतीश यादव को पीटने और थाने लेकर जाने की घटना के पीछे भी सोशल मीडिया पर की गई निजी टिप्पणियां भी बड़ी वजह रहीं. इसी बीच सरकारी जमीन पर कमल शुक्ला, श्री सतीश यादव समेत कुछ पत्रकारों के अवैध कब्जों को लेकर नजूल विभाग ने नोटिस जारी की. कमल और श्री सतीश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे बदले की कार्रवाई बताया है. श्री सतीशने इस नोटिस के बाद अपने पक्ष की खबर बनाकर अपने ही अखबार में छापी भी. (18 सितंबर की खबर संलग्न)

3. कांग्रेस पार्टी ने गफ्फार मेमन के खिलाफ तो कार्रवाई की, लेकिन विजय ठाकुर, मकबूल के खिलाफ भी पार्टी ने कार्रवाई नहीं की, तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा.

4. 26 सितंबर 2020 को जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, वह बेहद आपत्तिजनक है. इसमें कांग्रेस के कुछ नेताओं जीतेंद्र ठाकुर, पार्षद शादाब, कांग्रेस पार्षद मकबूल ने एक तरह से कानून हाथ में लेकर काम किया. पत्रकार श्री सतीश यादव को होटल से लगभग धकियाते हुए पुलिस थाने तक लेकर जाने के दौरान इन लोगों ने सरेआम मारपीट की. पुलिस थाना परिसर में और अश्लील गालियां देने और जान से मारने जैसी धमकियां दी. थाने के ठीक सामने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की भीड़ कमल शुक्ला को घेरकर खींचती रही. धक्के देती रही. हमले करती रही. इस तरह की घटना में उनकी जान जाने का भी खतरा था. इसमें श्री शुक्ला को बड़ा नुकसान भी हो सकता था. (वीडियो क्लिप संलग्न)

5. पत्रकारों से मारपीट के तीन घंटे से कुछ ज्यादा के इस पूरे घटनाक्रम में कांकेर सिटी कोतवाली थाने की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. पत्रकार श्री सतीश यादव को कांग्रेस के नेताओं द्वारा पीटते हुए थाने लेकर आना. थाने के अंदर पुलिस अफसरों के सामने कांग्रेस के नेता श्री कमल शुक्ला और श्री सतीश यादव को धमकियां दीं गईं, गालीगलौज हुई. पर पुलिस ने उनको रोकने की प्रभावी कोशिश नहीं की. इससे ज्यादा गंभीर बात थाने से कुछ कदमों की दूरी पर कमल शुक्ला के साथ उत्तेजित भीड़ द्वारा की गई मारपीट है. थाने के अंदर पत्रकारों और पुलिस के बीच भारी तनाव होने के बावजूद पुलिस ने बिना सुरक्षा या एहतियात के दोनों गुटों को बाहर भेज दिया. बाहर भी जब विवाद बढ़ा, मारपीट होने लगी, तब भी पुलिस

का कोई अफसर या कर्मी शुक्ला को बचाने नहीं आया. घटना को रोकने की कोशिश नहीं की. जबकि थाने के बाहर जो कुछ हो रहा था, उसकी लाइव फीड सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पुलिस थाने के अंदर आला अफसरों तक पहुंच रही थी. जांच समिति के सामने आला पुलिस अफसरों ने स्वीकार किया कि वह हालात की गंभीरता को भांपने में चूक गए. इस पूरे मामले में एसपी कांकेर की भूमिका सवालों के घेरे में है.

6. कलेक्टर को लेकर कांकेर के पत्रकार आंदोलित हैं. खासकर वॉट्सएप पर उनके एक जवाब की भाषा को लेकर. वे उनके तबादले की मांग कर रहे हैं. पर कांकेर शहर के कारोबारी, सामजिक संगठन एवं कुछ पत्रकार कलेक्टर के खुलकर समर्थन में हैं.

जांच समिति की सिफारिश

1. श्री सतीश यादव और कमल शुक्ला के साथ हुई मारपीट की घटना बेहद गंभीर किस्म की है. खासकर कमल शुक्ला के मामले में जिस तरह के हालात में पूरा घटनाक्रम हुआ, उसका परिणाम कुछ भी हो सकता था. यह एक तरह से उत्तेजित भीड़ द्वारा हमले जैसी घटना थी. इस बात को ध्यान में रखते हुए मामले में और गंभीर धाराएं जोड़ने की जरूरत है.

2. पुलिस इस पूरे मामले में हालात को काबू करने में पूरी तरह से विफल रही. शहर में धारा 144 के दौरान कंटेनमेंट जोन में तीन घंटे तक सौ से ज्यादा लोगों की आक्रामक भीड़ जुटी रही. मारपीट हुई. थाने में मौजूद स्टाफ से मामले को संभालने में गंभीरतम चूक हुई दिखती है. पुलिस अधीक्षक का घटनास्थल पर अंत तक नहीं पहुंचना उनकी संवेदनशीलता को लेकर गंभीरतम सवाल खड़े करता है.

3. पत्रकार सुरक्षा कानून का अंतिम ड्राफ्ट प्रक्रियाधीन है. इस घटना ने कानून की जरूरत को एक बार फिर रेखांकित किया है. कानून को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास हो.

4. इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए एेसा लगता है कि पत्रकार कमल शुक्ला और श्री सतीश यादव के खिलाफ आरोपियों द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर अपने बचाव के लिए करवाई गई है.

मीडिया के लिए सिफारिश

इस बात को लेकर मीडिया के अंदर ही विमर्श होना चाहिए कि पत्रकार के रूप में लक्ष्मण रेखा कहां तक है. मीडिया का अपना दायित्व है, अपना दायरा है. लेकिन कांकेर में जो देखने को मिला, उसमें कमल शुक्ला और श्री सतीश यादव ने पत्रकारिता से बेपटरी होकर अपनी निजी नाराजगी को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया. इसके बाद ही दोनों के साथ गंभीर घटना घटित

हुई, जो निंदनीय है. समिति का ये सुझाव है कि मिडिया के अंदर भी इस पर विचार होना चाहिए कि पत्रकार के रूप में उनका दायरा कहां तक है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके. पूरे घटनाक्रम में अहं का टकराव स्पष्ट दिखता है. यह स्थिति संवादहीनता से से पैदा होता है. संवाद कायम करने की जिम्मेदारी प्रशासन, और शासन की होती है.

जांच समिति

राजेश जोशी सुरेश महापात्र रुपेश गुप्ता अनिल द्विवेदी शगुफ्ता शीरीन राजेश शर्मा

(राजेश शर्मा जी कोरोना पाजिटिव होने की वजह से क्वारंटीन हैं. उनको समिति की पूरी रिपोर्ट भेजकर सहमति ली गई)

दिनांक 10 अक्टूबर 2020

संलग्न **दस्तावेज**

1. थाने में घटना से बारे में हुई एफआईआर की कापी. पहला बंच
2. घटना से संबंधित सभी लोगों के बयान और उनकी वीडियो क्लिपिंग
3. घटना के बारे में समिति को मिले ज्ञापन
4. अखबार की कतरनें, सोशल मीडिया के स्क्रीन शॉट
5. घटना के बारे में जांच समिति को मिली सारी वीडियो क्लिपिंग
6. श्री कमल शुक्ला द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज. वीडियो क्लिप